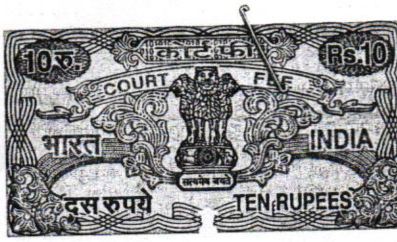

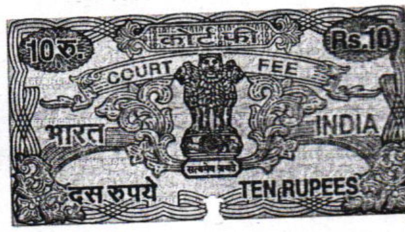

समक्ष न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर (मप्र)

–: केम्प भोपाल :–

प्रकरण क्र. PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा/2018/0102

मौजा–हमलापुर बैतूल

1. **लैनार्ड हेनरी पिता श्री राजेश हेनरी**
2. **आगस्टन हेनरी पिता श्री राजेश हेनरी**

दोनों आयु 22 वर्ष, दोनों पता – मकान नं. – 316,
सेक्टर–2 शक्ति नगर, **भोपाल,** मो. 9425002317

–––पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्व

अपर कलेक्टर महोदय, बैतूल जिला बैतूल म.प्र.

–––उत्तरार्थी

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न पुनरीक्षण याचिका न्यायदान हेतु सादर प्रस्तुत करते है –

प्रकरण विवरण (जिसके विरूद्व पुनरीक्षण है)

अधिनस्थ न्यायालय – माननीय आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद
अपील प्रकरण क्र. – 117/अपील/2016–17
आदेश दिनांक 26.10.2017
पक्षकार – लैनार्ड हेनरी एवं अन्य एक विरूद्ध अपर कलेक्टर, बैतूल

विचारण न्यायालय के प्रकरण की जानकारी

अधिनस्थ न्यायालय – माननीय अपर कलेक्टर महोदय बैतूल
राजस्व मा.क. – 0032/अ–21/2016–17
आदेश दिनांक 30.03.2017
पक्षकार – आवेदकगण (वर्तमान मामले में पुनरीक्षणकर्तागण)
बाबत्–बैतूल शहर में स्थित आवासीय फ्लेट विक्रय की अनुमति बाबत्।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भूरा/18/0102 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7—2—2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—10—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपर कलेक्टर ने प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30—3—2017 अनुसार संहिता की धारा 165(6) के प्रावधान अनुसार तथा शासन के ज्ञाप दिनांक 26—3—2015 के संदर्भ में आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया है, जो संहिता के प्रावधानों के अनुरूप है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये अपील अस्वीकार करने में वैधानिक कार्यवाही की है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	